



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-अशोकनगर

III/विविध/अशोकनगर/भूरा/2017/4338

- 1- शाहिद अली पुत्र श्री हामिद अली
- 2- श्रीमती फिरोज सैयद पत्नी स्व. ताहिर अली
- 3- श्रीमती फातिमा सैयद पत्नी ताहिर अली
- 4- सैयद नासिर अली पुत्र ताहिर अली
- 5- कु.कनीज सैयद पुत्री ताहिर अली नावा
- 6- सैयद हसमत अली पुत्र ताहिर अली नावा
- 7- कु. बूसरा सैयद पुत्री ताहिर अली नावा

5,6,7 नावा संरक्षक माता श्रीमती फिरोज सैयद

सभी निवासीगण - कटरा मोहल्ला अशोकनगर तहसील व जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- म0प्र0 शासन
- 2- धन्नालाल पुत्र नवला हरिजन निवासी-अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन-पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/बी-121/2014-15 अभ्यावेदन में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2359/दो/2015 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 09.11.2015 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें आवेदकगण द्वारा बादग्रस्त भूमि भूखण्ड सर्वे नं. 406 दुकान नं. 11 (8×10 =

श्री फिरोज सैयद अली
द्वारा आज दि. 9/11/17
प्रस्तुत


कलकत्ता/क/2
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
दि. 05-12-17

9/11/17
श्री फिरोज सैयद अली

M

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक दो/विविध/अशोकनगर/भू.रा/2017/4338

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 11-01-18 | <p>आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर उनके द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2359-दो/15 में पारित आदेश दिनांक 9.11.15 में आदेश के अंतिम पृष्ठ पर लिपिकीय त्रुटिवश दुकान क्रमांक 11 (9 10 80) वर्गफुट का उल्लेख कर दिया है। जबकि वास्तविक रूप से दुकान क्रमांक 11 (8 x 10 = 80) वर्गफुट होना चाहिये। ऐसी स्थिति में दुकान क्रमांक 11 (8 10 80) वर्गफुट करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के अंतिम पृष्ठ पर दुकान क्रमांक 11 (9 x 10 = 80) वर्गफुट के स्थान पर दुकान क्रमांक 11 (8 x 10 = 80) वर्गफुट पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |